



ब्रह्मदीप अलुने

मुक्त व्यापार समझौते में कुछ देश आपस में शुल्क घटाकर या समाप्त करके व्यापार को तेज़ करते हैं. विकसित देशों के लिए मुक्त व्यापार समझौते अक्सर एक रणनीतिक हथियार बन जाते हैं. वे विश्व व्यापार संगठन में जब व्यापक सहमति नहीं बना पाते,तबमुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं. विकसित देश मुक्त व्यापार के नाम पर केवल शुल्क घटाने तक सीमित नहीं रहते,बल्कि पेटेंट नियम,डेटा स्थानीयकरण पर रोक,श्रम और पर्यावरण मानकों की कठोर शर्तें,सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को अवसरतथा निवेश विवाद निपटान जैसी शर्तें जोड़ देते हैं . इन शर्तों का असर यह होता है कि विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को लेकर स्वतंत्रता सीमित होने लगती है . पूंजीवादी शक्तियों का प्रभाव राजनीतिक रूप से भी पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और यह स्थिति भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक देश की चुनौतियां बढ़ा सकती है . व्यापार को लेकर नए समझौतों से अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ने से निर्यात में वृद्धि होगी,विदेशी निवेश और तकनीक हस्तांतरण के अवसर भी मिलेंगे .

मुक्त व्यापार और भारत के अन्तर्विरोध

विकसित देशों के लिए भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार,निवेश का भरोसेमंद ठिकाना और रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख केंद्र है. अमेरिका,यूरोपियन संघ,ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने यह बखूबी समझा है की भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश की बहुत अधिक संभावनाएं हैं. इन देशों के लिए भारत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल मध्यम वर्ग,बढ़ती खपत क्षमता और युवा आबादी है,जो ऑटोमोबाइल,इलेक्ट्रॉनिक्स,स्वास्थ्य सेवा,शिक्षा और डिजिटल सेवाओं की मांग को लगातार बढ़ा रही है. दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में शामिल भारत को कम लागत वाली कुशल श्रमशक्ति और विशाल बाजारपूंजीवादी शक्तियों की आर्थिक महत्वकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए मुफीद नजर आते है.

ट्रम्प की भारत पर टैरिफ कम करने की अचानक घोषणा ने सबको चमत्कृत किया है,वहीं अमेरिकी प्रशासन को चुनौती देकर यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता अभूतपूर्व माना जा रहा है. भारत को यह उम्मीद है की विकसित देशों के साथ व्यापार से दीर्घकालीन लाभ होंगे. अमेरिका,यूरोप,ब्रिटेन जैसे बाजारों में क्रय-शक्ति अधिक है और वे गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार रहते हैं. इससे भारत के दवा उद्योग,सूचना प्रौद्योगिकी,कपड़ा उद्योग,वाहन पुर्जे,इंजीनियरिंग सामान,रब एवं आभूषणऔर कृषि-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को विस्तार मिल सकता है.विकसित देशों के साथ व्यापार और समझौते भारत में विदेशी निवेशबढ़ा सकते हैं,जिससे उत्पादन क्षमता,रोजगार और आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण संभव होता है. यह मेक इन इंडियाऔर वैश्विक स्प्लॉई चैनमें भारत की भूमिका मजबूत कर सकता है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उल्लेखनीय योगदान हो सकता है.

भारत की आईटी,डिजिटल सेवाएं,स्वास्थ्य सर्विस और प्रोफेशनल सेवाएं विकसित देशों में तेजी से मांग बढ़ा रही हैं.विकसित देशों के साथ व्यापार भारत के लिए बाजार विस्तार,निवेश,रोजगार और



विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौते के बीच विरोधाभास का सबसे बड़ा असर यह है कि विकसित देश नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की बात करते हुए भी अपने हितों के लिए क्षेत्रीय समझौतों का सहारा लेते हैं. भारत और विकसित देशों की प्राथमिकताओं में गहरा अंतर है. भारत की मुख्य चिंता गरीबी घटाना,रोजगार बढ़ाना,कृषि व ग्रामीण विकास,सस्ती शिक्षा-स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की स्थापना है. वहीं विकसित देशों की प्राथमिकताएं उच्च जीवन-स्तर,तकनीकी नवाचार,पर्यावरण मानक,कड़े श्रम नियम और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हैं. जाहिर है भारत और विकसित देशों की नीतियां और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं.अतः भारत के लिए जरूरी है कि वह मुक्त व्यापार को सुरक्षा-कवच,चरणबद्ध उदारीकरण और घरेलू क्षमता-वृद्धि के साथ संतुलित रूप में लागू करे. भारत के स्थायी विकास के लिए रोजगार सृजन,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास,उद्योगों का विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सुधार अत्यंत आवश्यक है.इन्हीं आधारों पर देश की आर्थिक मजबूती,सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है. बहरहाल विकसित देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते सुखद तो नजर आते हैं,लेकिन विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा,कड़े गुणवत्ता मानक,कृषि सब्सिडी,पेटेंट नियम और घरेलू उद्योगों पर दबाव जैसी चुनौतियां भी भारत के सामने होगी

तकनीकी उन्नति का मजबूत अवसर है.इसके अलावा विकसित देशों के साथ व्यापार से भारत को मानक,गुणवत्ता,पैकेजिंग और ब्रांडिंग सुधारने का दबाव मिलता है,जिससे भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे तथा इसके भविष्य में उजले परिणाम भी हो सकते हैं.

विकसित देशों की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और पूंजीवादी समाज के साथ कदमताल मिलाते भारत के विकासशील समाज के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है.विकसित देश अर्थात् पूंजी,तकनीक,प्रति व्यक्ति

आय,बचत,निवेश और नागरिकों के रहन सहन जैसी विशेषताओं में उच्च स्तर और मजबूत अर्थव्यवस्था. जबकि विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती है. राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत व निवेश का निम्न स्तर पाया जाता है.इन देशों में अधिक जनसंख्या पायी जाती है,किन्तु वह कम कार्यकुशल होती है. पूंजी निर्माण की दर कम होती है तथा आयात की मात्रा अधिक रहती है.इन देशों में पूंजी एवं तकनीकी का आमतौर पर दूसरे देशों से आयात होता है. विकासशील देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग

ओटीटी, गेमिंग और हमारी Gen Z: एक अनदेखा संकट



सुचिता सकुनिका

कभी हम विकसित देशों को देखकर आह भरते थे—काश भारत भी ऐसा बन जाए, जहां तकनीक जीवन को आसान बनाए, जहां मोबाइल के एक बटन से पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पर हो. हमने डिजिटल क्रांति का स्वागत उम्मीदों के साथ किया था . लेकिन शायद हमने यह नहीं सोचा था कि यही सुविधा, यही आभासी दुनिया, एक दिन हमारे बच्चों के वास्तविक जीवन को निगलने लगेगी .

आज तकनीक हमारे बच्चों को जोड़ नहीं रही—उन्हें परिवार से, समाज से और अपनी पहचान से काट रही है. ऑनलाइन गेमिंग, ओटीटी कंटेंट और डिजिटल फेंडशिप अब केवल मनोरंजन नहीं रहे. ये धीरे-धीरे लत बन चुके हैं—एक ऐसी लत, जो मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और जीवन के प्रति संवेदन को खत्म कर रही है. हाल ही में सामने आया वह दर्दनाक मामला, जिसमें गेमिंग के प्रभाव में तीन सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली, किसी एक परिवार की कहानी नहीं है. यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है—एक सायरन, जिसे अब अनसुना करना अपराध होगा.

पुलिस जॉर्च में सामने आया कि इन बच्चों को केवल गेम की लत नहीं थी, बल्कि वे अपनी संस्कृति, अपने परिवेश और अपने देश से भी कटती जा रही थीं. उनका झुकाव एक आभासी, ग्लोबर से भरी दुनिया की ओर था—जहाँ न जड़ें थीं, न सीमाएँ, न ज़िम्मेदारी. यह सवाल उठता है कि क्या अत्यधिक डिजिटल प्रभाव हमारे बच्चों की सोच, पसंद और पहचान को विस्थापित कर रहा है.

सबसे दुखद सच यह है कि यह सब हमारे घरों के भीतर हो रहा है. आज माता-पिता छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा देते हैं—यह सोचकर कि बच्चा व्यस्त रहेगा. वे यह नहीं देखते कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, और किस मानसिक दुनिया में जी रहा है. पैरेंटल लॉक लगा देना ज़िम्मेदारी निभा देना



नहीं है. तकनीक से बच्चों को बाँधने के लिए नहीं, समझने के लिए संवाद चाहिए—जो आज लगभग गायब है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा कंटेंट इस संकट को और गहरा कर रहा है. बिना स्पष्ट आयु-वर्गीकरण और बिना संवेदनशील निगरानी के, हिंसा और अश्लीलता को सामान्य बनाकर परोसा जा रहा है. हालात इतने खराब हैं कि कई बार इनके विज्ञापन तक आपत्तिजनक होते हैं. सवाल यह नहीं है कि कला की स्वतंत्रता कहीं तक है—सवाल यह है कि बच्चों की मानसिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन लेगा.

यह विडंबना ही नहीं, त्रासदी है कि यह देश की एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है, फिर भी न सरकार की प्राथमिकताओं में है, न विपक्षी नेताओं की बहसों में. ऑनलाइन फॉड, डिजिटल अरेस्ट, हिंसक और अश्लील कंटेंट, विदेशी गेम्स और वेब सीरीज़—ये सब मिलकर एक ऐसी पीढ़ी गढ़ रहे हैं, जो संवेदनशील नहीं, संवेदना-शून्य होती जा रही है. नीति-निर्माण के स्तर पर चुपड़ी है—खामोशी है. यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, जिम्मेदारी तय करने का है. सरकार को सख्त डिजिटल नीतियाँ बनानी होंगी. ओटीटी और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी अनिवार्य करनी होगी . और समाज को यह स्वीकार करना होगा कि बच्चों को अकेले डिजिटल दुनिया के हवाले करना, उन्हें खतरे में डालना है. अब सवाल यह नहीं है कि तकनीक अच्छी है या बुरी. सवाल यह है—क्या हम अपने बच्चों को समय रहते बचा पाएँगे? या फिर अगली खबर, किसी और घर से आएगी? इस लेख के अंत में, मैं अपने मन की बात कुछ पक्तियों में कहना चाहती हूँ—

एक चेतावनी, एक प्रश्न और एक अपील के रूप में .
स्क्रीन की रोशनी में खोता जा रहा बचपन,
खामोश आँखों में कैद है अनदेखा डर .
खेलने की उम्र में जो ज़िंदगी से हार जाए,
ऐसे विकसित भारत का हम क्या करेंगे—जब मासूमियत और इंसानियत ही नष्ट हो जाए?

विकसित भारत 2047 की ओर स्मार्ट रास्ता



डॉ. दीपक जायसवाल

परिदृश्य में अदृश्य रहे हैं और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं. चार श्रम संहिताएँ इन ऐतिहासिक अन्यायों का सुधार करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं. लगभग तीन दर्जन अलग-अलग कानूनों को एक सुसंगत,एकल ढांचे में लाकर, ये संहिताएँ न्यायसंगत वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं, जो लंबे समय से वंचित रहे हैं. वर्षों के परामर्श और बहस के बाद इनका कार्यान्वयन, श्रमिकों के अधिकारों

को मजबूत करने तथा अधिक स्थिर और मानवतापूर्ण रोजगार वातावरण बनाने में निर्णायक क्षण का प्रतीक है. एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में, भारतीय ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू), कामगारों की दीर्घकालिक भलाई, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. मोर्चा दृढ़ता से मानता है कि 12 फरवरी की श्रम संहिताओं के खिलाफ हड़ताल में भाग लेना न तो आवश्यक है और न ही वर्तमान समयमें श्रमिक वर्ग के सर्वोत्तम हित में है. श्रम संहिताएँ कोई अचानक या एकतरफा हस्तक्षेप नहीं हैं. ये दो दशकों से अधिक समय तक चली सुधार प्रक्रिया का परिणाम हैं. 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके, अप्रयष्टता को कम किया जा सके तथा कार्य और रोजगार की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप भारत की श्रम रूपरेखा को आधुनिक बनाया जा सके .

श्रम संहिताओं को पूरी तरह खारिज करना उन मौलिक लाभों की उपेक्षा करता है, जो वे श्रमिकों को

प्रदान करने का प्रयास करती हैं. वेतन संहिता सावभौमिक न्यूनतम वेतन कवरज और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद वेतन सुरक्षा के अंतर को दूर किया जा सकता है. सामाजिक सुरक्षा संहिता, पसली बार, असंगठित, संविदा, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विधायी रूपरेखा तैयार करती है. इन श्रमिकों की संख्या लगभग 40 करोड़ है और पहले ये श्रमिक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे. ये प्रावधान भारत में श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा कवरज का ऐतिहासिक विस्तार प्रस्तुत करते हैं. औद्योगिक संबंध संहिता तथा पेशे से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-परिस्थिति संहिता का उद्देश्य औद्योगिक सद्भाव, तेजविवाद निवारण और सुरक्षित, स्वस्थ व अधिक सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देना है. कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं, अनुभव बताते हैं कि व्यापक विरोध और हड़तालों से शाश्वद ही रचनात्मक परिणाम मिलते हैं. संवाद, नियम-आधारित सुधार और मुद्दा-विशेष पर चर्चा के जरिये श्रमिकों के हित बेहतर तरीके से पूरे किये

जा सकते हैं, बजाय इसके कि आपस में टकराव हो, जिससे पारिश्रमिक हानि, उत्पादन में रुकावट और रोजगार असुरक्षा का जोखिम पैदा होता है—विशेष रूप से श्रम बल के सबसे कमजोर वर्गों के लिए. यह दावा करना भी गलत है कि श्रम संहिताएँ बिना परामर्श के लागू की गई हैं. सुधार प्रक्रिया में निपक्षीय वर्गोंओं के कई दौर, संसद की स्थायी समितियों में विचार-विमर्श और विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद शामिल थे. एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें बातचीत और संश्लेषण संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि उन व्यवधानों के द्वारा जो अंततः स्वयं श्रमिकों को ही नुकसान पहुंचाते हैं. जब भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूपांतरण के दौर से गुजर रही है और राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, श्रमिक संघों को विपटन के बजाय जिम्मेदार कार्रवाई का वयन करना चाहिए.

(लेखक, भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू)केअध्यक्ष हैं)



राजीव खंडेलवाल

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ’ पर घोषणा की कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद उनके अनुरोध पर अमेरिका ने भारत-अमेरिका ट्रेड 50% से घटाकर 18%, तत्काल प्रभाव से करेगा. साथ ही 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा. भारत अपने टैरिफ/बैरियर लगभग सुरक्षित करेगा. इसके बाद भारत की ओर से ट्रेड डील की बात तो स्वीकार की गई, किंतु—केवल टैरिफ घटने की पुष्टि के साथ.

अभी तक अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड व्यापार अतिशेष (212 बिलियन डॉलर) रहा. यह विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है. लेकिन यदि 500 बिलियन का अमेरिका उत्पाद भारत खरीदेगा तो वह ऋणात्मक होकर सरलस व्यापार घाटे में परिवर्तित हो जायेगा.

एक तथ्यात्मक प्रश्न यह भी है कि टैरिफ 50% से घटाकर 18% एक उपलब्धि है. लेकिन डीड पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, (पीयूष गोयल के अनुसार,) सोवियत रूस से सस्ता तेल हमको रुपए में मिलता है जिस कारण अभी तक लगभग एक करोड़ 153 लाख करोड़ रुपए बचे. यदि यह मान भी लिया जाए कि भारत ने रूस से तेल कम खरीदने की बात को नहीं स्वीकारा है, तब भी दिसंबर 2025 में रूस की आयत में कुल हिस्से घटकर 27% से 4% रह गया. खरीदी कम होने का कोई कारण सरकार ने नहीं बतलाया. क्योंकि रूस ने तो तेल सप्लाई करने से मना कभी किया नहीं?

राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा की तरह महानतम दोस्तों में से एक बतलाते हुए कहा कि मोदी के अनुरोध पर ही उन्होंने यह डील तुरंत मंजूर की. प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रम्प को “मेरे प्रिय मित्र” कहकर इस ट्रेड डील के लिए धन्यवाद दिया. ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 महीनों में ट्रंप को सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा मैसेज न भेजे हों? कम से कम 5-6 बार मैसेज किया और माय फ्रेंड या डियर फ्रेंड कहकर थैंक यू ही कहा. हमेशा सकारात्मक दोस्ताना और सहयोग पर ही फोकस किया. अक्टूबर 2025 में गांजा पीस प्लान की सफलता पर बधाई दी. फोन पर भी दो बार बात हुई. परंतु लगातार देश का अपमान करने वाली बातों पर कभी भी उन्होंने ट्रम्प को एक शब्द भी नहीं कहा. न ही ऐसा

कोई दावा किया. विश्व की हर समस्या का बिना मांगे इलाज करने वाले डॉक्टर ट्रम्प को इस बात का धन्यवाद तो दिया ही जाना चाहिए कि उन्होंने गर्भस्थ शिशु का लिंग तो बता ही दिया—भले ही भारत में लिंग-जांच पर कानूनी प्रतिबंध हो! परंतु बच्चा सुंदर है या नहीं, यह तो नौ महीने बाद ही पता चलेगा? पूर्व में ट्रम्प द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सख्त वार्ताकार (निगोशिएटर) का प्रमाण पत्र देने के अनुसार ही मोदी द्वारा टैरिफ 50% से घटाकर 18 ब कर देने के बावजूद विपक्ष की सूत न कपास जुलाहों में लड्डम-लड्डा रूपी पी-चिल्लाहट का अर्थ क्या है? भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कथन कि मार्च 2026 तक अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. मतलब ट्रेड डील ऑफिस रूप से फाइनल नहीं हुई है. जब तक डील हस्ताक्षरित होकर समस्त शर्तें सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक हंगामे का क्या औचित्य? पीयूष गोयल ने इसे श्रेष्ठ डील बताया, जहां दोनों देश ने अपने हितों की रक्षा की है. तथापि डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया है. पूरा देश उसे दिन की रास्ता देख रहा है जब दोनों देश के प्रतिनिधि के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए फोटो वायरल होंगे. जिस अनुबंध में प्रधानमंत्री मोदी के विभिन्न अवसरों पर कहे गए कृषि और दूध डेयरी के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित

बोते एक वर्ष में—ट्रंप बार-बार भारत से जुड़े भारत हित विरोधी निर्णयों की घोषणा में चाहे ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, मेरी अपनी मर्जी (गोविंदा की गैबलर फिल्म का मशहूर गाना) की तर्ज पर करते रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक वर्ष में ट्रम्प की किसी घोषणा का कोई प्रतिकार नहीं किया. भारत की संप्रभुता, अखंडता व स्वाधीनता को अपमानित करने वाले कथनों का न तो सार्वजनिक खंडन किया न ही मित्रता की मर्यादा का हवाला देकर ट्रम्प के पास आपत्ति दर्ज की. जबकि छोटे-छोटे से देश जैसे कनाडा, डेनमार्क, नावे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, कंबोडिया आदि ने ट्रम्प को खरी-खरी सुनाई और अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा की. देश के नेतागण स्वाभिमान की सुरक्षा में अपनी असफलता को छुपाने के लिए मीडिया टीवी बहसों में ट्रम्प को पागल, पलटू, मार, बदतमीज, बददिमाग, सनकी, गद्दार, मक्का आदि न जाने कितनी डिग्रियों से अलंकृत करते हुए, यहां तक कह डाला की विश्व में ट्रम्प को गंभीर कौन लेता है? लेकिन इसी पागल ट्रंप को ये ही नेतागण 18% टैरिफ कसे पर दिल की गहराइयों से बधाई देने लगे. और झुकता है, झुकाने वाला चाहिए न्यूज हैंडिंग बनाने लगे.

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल नगर सुधार न्यास)